न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/170

शिवराज आयु 22 वर्ष आत्मज श्री घनश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम ख्यातों का झोंपडा–गुढा गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. घनश्याम आयु 48 वर्ष आत्मज श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम ख्यातों का झोपडा–गुढा गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. कमलेश आयु 38 वर्ष आत्मज श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम ख्यातों का झोपडा–गुढा गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. मनीष आयु 21 वर्ष आत्मज श्री घनश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम ख्यातों का झोपडा–गुढा गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. श्रीमान् उप पंजीयक हिण्डोली जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजकुमार दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 01.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 333/1676 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 349 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर

421 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1881/328 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1894/334 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1895/350 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1896/418 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 07 रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 328/1677 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1755/141 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 1781/322 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 1840/481 रकबा 05 बीघा कुल किता 04 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के खातेदार रघुनाथ पि0 सांवला हैं । रघुनाथ जी मार्च, 2018 में मृत्यु हो गई । रघुनाथ जी के दो पुत्र घनश्याम व कमलेश हैं । प्रार्थी घनश्याम का पुत्र है । प्रार्थी जाति के मीणा हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । मीणा समाज में पुत्री को पैतृक सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार पुत्र होने की अवस्था में प्राप्त नहीं होते हैं व विधवा को भी पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होते हैं केवल पत्नी को भरण–पोषण का अधिकार रहता है । रघुनाथ जी की मृत्यु के उपरान्त रघुनाथ जी की भूमि पर उनके दोनों पुत्र घनश्याम व कमलेश को ही अधिकार प्राप्त हुए हैं लेकिन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि होने व पैत्क भूमि में यानि दादाजी की भूमि में पोते का जन्म से अधिकार होने से प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी रघुनाथ जी से विरासत में प्राप्त हुई है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी कम 01 घनश्याम का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1, अप्रार्थी संख्या 03 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 3 प्रत्येक का 1/6 –1/6 हिस्सा निहित है । प्रार्थी के दादा रघुनाथ जी द्वारा पैतृक आय से अप्रार्थी संख्या 01 के नाम बनायी गई भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 घनश्याम का अकेले का कभी कोई अधिकार नहीं रहा और न ही घनश्याम का कब्जा रहा है । उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थी के दादा रघुनाथ जी की मृत्यु हो जाने से उक्त भूमि पर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा कर उक्त भूमि को रहन, बेचान कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । उक्त भूमि को अकेले अप्रार्थी संख्या 03 मनीष के नाम हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 02 व 03 में वर्णित में प्रार्थी के निहित 1/6 हिस्से की भूमि पर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें, चाह से सिंचाई में बाधा उत्पन्न नहीं करें । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये बिना उक्त भूमि को रहन, बेचान, अन्तरण कर खुर्द–बुर्द नहीं करें। अप्रार्थी कम 4 व 5 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करें कि वे उक्त भूमि के बेचान, अन्तरण को पंजीबद्ध नहीं करें । उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खाारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट घनश्याम का पुत्र होने से इंकार नहीं किया है तथा वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय श्री रघुनाथ की नही होने बाबत् भी खण्डन नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बाबत् कोई विवेचन नहीं कर त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी लिखित एवं बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रघुनाथ आत्मज श्री सांवला थे जिनका मार्च, 2018 में देहान्त हो गया । स्वर्गीय रघुनाथ जी के दो पुत्र घनश्याम व कमलेश हैं । प्रार्थी घनश्याम का पुत्र है । पक्षकार मीणा जाति के व्यक्ति हैं जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता है तथा पक्षकार ऑल्ड हिन्दू लॉ से गर्वन होते हैं । मीणा समाज में पुत्रियों व पत्नियों का कृषि भूमि में कोई अधिकार नहीं होता है लेकिन घनश्याम ने रघुनाथ जी की मृत्यु होने पर रघुनाथ जी की भूमि बहिनों के नाम व पत्नी के नाम दर्ज करवा ली है और अब बहिनों से उक्त भूमि को अपने नाजायज पत्नी व उसकी संतानों के नाम करवाने की कुचेष्टा कर रहा है । मृतक रघुनाथ जी प्रार्थी के दादा हैं जिनकी सम्पत्ति में प्रार्थी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है । प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 03 में वर्णित भूमि अप्रार्थी घनश्याम के खाते में दर्ज है । उक्त भूमि प्रार्थी के दादा श्री रघुनाथ जी ने पैतृक सम्पत्ति की आमदनी से अपने बडे पुत्र घनश्याम के नाम दर्ज करवाया है । उक्त भूमि के विक्रय पत्र को न्यायालय में पेश नहीं किया है क्योंकि उक्त विक्रय पत्र रघुनाथ जी ने घनश्याम के नाम करवाया है । घनश्याम पैराटीचर था जो अभी कुछ समय पूर्व स्थायी हुआ है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी हिस्से अनुसार काबिज काश्त है परन्तु प्रार्थी के दादा रघुनाथ जी की मृत्यु हो जाने से उक्त भूमि पर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाकर उक्त भूमि को रहन, बेचान कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । घनश्याम जी शादी प्रार्थी की माता श्रीमती गीताबाई के साथ हुई थी और गीताबाई के जीवनकाल में अप्रार्थी घनश्याम ने अपने साथ एक अन्य महिला मीरा देवी पुत्री देवीलाल मीणा को रख लिया जिससे पुत्र अप्रार्थी मनीष पैदा हुआ है । अप्रार्थी घनश्याम का अत्याधिक लगावा मीरा देवी व मनीष से होने के कारण अप्रार्थी घनश्याम उनके बहकावे में आकर उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्तरण कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर देंगे । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है । रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट घनश्याम का पुत्र होने से इंकार नहीं किया है तथा वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय श्री रघुनाथ की नही होने बाबत् भी खण्डन नहीं

किया है । परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बाबत् कोई विवेचन नहीं कर त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 206, आरआरडी 1982 पेज 370, आरआरडी 1986 पेज 488 आरआरडी 1981 पेज 361, आरआरडी 1966 पेज 71, डीएनजे 2016 (रेवे0) पेज 28, Old Hindu law 2 (1) A Sub Section 2, आरआरडी 1989 पेज 284, डीएनजे 2014 (4) पेज 604, डीएनजे 2013 (3) (राज0) पेज 1094 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि प्रार्थी अपीलान्ट शिवराज घनश्याम का पुत्र है । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट की माता श्रीमती मीरा 20 वर्ष पूर्व ही नाता चली गई । वादपत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित भूमि को रेस्पोडेन्ट घनश्याम ने अपनी आय से क्रय किया है । प्रार्थी अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि हो। वादग्रस्त आराजी के खातेदार रघुनाथ जी पुत्र सावंला जी थे । रघुनाथ जी के दो पुत्र घनश्याम, कमलेश पुत्रियॉ कन्या, मूली व मनभर व पत्नी रूकमणी देवी हैं । इन्हें परीक्षण न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 1253 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोकुलपुरा की किता 07 की रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा रूघनाथ पि0 सांवला के खातेदारी की भूमि थी जिसमें रूघनाथ की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के नाम खातेदारी में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2073 के अनुसार ग्राम गोकुलपुरा की आराजी खसरा नम्बर 333/1676 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 349 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 421 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1881/328 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1894/334 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1895/350 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1896/418 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 07 रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा भूमि रूघनाथ पि0 सांवला कौम मीणा के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोकुलपुरा की आराजी खसरा नम्बर 328/1677 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1755/141 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 1781/322 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 1840/481 रकबा 05 बीघा कुल किता 04 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा भूमि घनश्याम वल्द रूघनाथ कौम मीणा के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोकुलपुरा की आराजी खसरा नम्बर 786/328 रकबा 05 बीघा भूमि रूकमणी देवी पत्नी रूघनाथ के खातेदारी में दर्ज है ।

11. प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा वर्णित ग्राम गोकुलपुरा की किता 07 की रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा तथा कुल किता 04 की रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा दोनों विवादित आराजी में अपना 1/6 हिस्सा अंकित करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । जहॉ तक प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने दादा रघुनाथ की ग्राम गोकुलपुरा की भूमि कुल रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा भूमि पर अपना अधिकार होने से उक्त भूमि से कब्जे काश्त में प्रार्थी को मदाखलत व मजाहमत नहीं करने व भूमि को रहन, बेचान व खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु अंकित किया गया है, परन्तु प्रार्थी के कथनानुसार अपने दादा की भूमि में से कथित हिस्सा 1/6 भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । चूँकि वर्तमान में पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1253 दिनांक 21.01.2019 से मृतक खातेदार रघुनाथ के स्थान पर उसके मौजूद वारिसान के नाम खाते दर्ज हो चुके हैं जिसके अनुसार यह भी स्पष्ट नहीं होता कि उक्त नामान्तरकरण से पृथक प्रार्थी द्वारा अपना हिस्सा 1/6 पर अधिकार प्रतिपादन किया गया है, जो कि रिकॉर्ड अनुसार नहीं है। साथ ही वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के पिता (अप्रार्थी कम 01) की स्वयं के नाम खातेशुदा भूमि भी है जिसका वह रिकॉर्डेड खातेदार है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त भूमि घनश्याम को अपने पिता रूघनाथ से प्राप्त हुई हो । इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन व स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है । रिकॉर्ड की स्थिति अनुसार भी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सम्बन्ध में प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाये जाते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति किसके पक्ष में है । जैसा कि उपर विवेचन किया जा चुका है प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज़ दिनांक 01.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा